निष्पादित सरकारी अनुबंध को बिना कारण बताओ नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए एकतरफा निरस्त नहीं किया जा सकता

हाईकोर्ट ने राज्य शासन की मनमानी पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

● जबलपुर / राज न्यूज नेटवर्क

मप्र हाईकोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में कहा है कि निष्पादित सरकारी अनुबंध को बिना कारण बताओ नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए एकतरफा निरस्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने टीकमगढ़ के सब हेल्थ सेंटरों में हाउस कीपिंग सेवाओं से जुड़े अनुबंध को रद्द करने का आदेश निरस्त करते हुए वर्क आर्डर और अनुबंध बहाल कर दिया। साथ ही राज्य के संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता पर10 हजार रुपए की लागत तय की। एक्टिंग विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने यह आदेश स्काईबुल सिक्योरिटी सर्विस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड की रिट अपील पर सुनाया।

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार सिंह सेंगर ने पक्ष रखा। मामला टीकमगढ़ जिले के सब हेल्थ सेंटरों में हाउसकीपिंग सेवाओं के लिए जारी टेंडर का है। टेंडर प्रक्रिया में दो बोलीदाता पात्र पाए गए और दोनों की दर समान होने पर ड्रा आफ लाट्स से अपीलकर्ता कंपनी का चयन किया गया। 11 फरवरी 2026 को वर्क आर्डर जारी हुआ और 12 फरवरी को औपचारिक अनुबंध निष्पादित किया गया। कंपनी को सात दिन में परफार्मेंस बैंक गारंटी जमा करनी थी। कंपनी का कहना था कि बैंकिंग पोर्टल में तकनीकी समस्या के कारण वह समय पर गारंटी जमा नहीं कर सकी। उसने 14 फरवरी को आठ दिन की मोहलत मांगते हुए अभ्यावेदन दिया, लेकिन अधिकारियों ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। इसके बाद 20 फरवरी को वर्क आर्डर और अनुबंध समाप्त कर दिया गया। यह कार्रवाई बिना शो-काज नोटिस और सुनवाई के की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि कंपनी ने एक दिन की देरी के बाद बैंक गारंटी जमा की थी और देरी ऐसी प्रकृति की नहीं थी, जो पूरे अनुबंध को समाप्त करने का आधार बने। सक्षम प्राधिकारी को विलंब माफ करने की शक्ति थी और कंपनी के अभ्यावेदन पर विचार किया जाना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी कहा कि निष्पादित अनुबंध को रद करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन जरूरी था। हाईकोर्ट ने एकलपीठ का छह जुलाई 2026 का आदेश व 20 फरवरी का समाप्ति आदेश निरस्त करते हुए 11 फरवरी का वर्क आर्डर और 12 फरवरी का अनुबंध बहाल कर दिया।

प्रमोशन में आरक्षण मामले की हाईकोर्ट में नहीं हुई सुनवाई

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में बहुचर्चित प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई मंगलवार को फिर नहीं हो सकी। जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी में 20 अगस्त को प्रस्तावित सुनवाई को देखते हुए मामले को आगे बढ़ा दिया, हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 अगस्त को निर्धारित की है। दरअसल, पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि वर्ष 2025 के नए प्रमोशन नियम लागू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ली गई थी या नहीं। वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने बताया था कि प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े कई राज्यों के मामलों की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। हाईकोर्ट ने तब स्पष्ट किया था कि विरोधाभासी न्यायिक फैसलों की स्थिति से बचने के लिए राज्य सरकार और सुनवाई के लिए संयुक्त आवेदन प्रस्तुत करे। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आने के बाद ही 2025 के प्रमोशन नियमों की वैधता तथा वर्ष 2016 के बाद हुई पदोन्नतियों की स्थिति तय की जा सकेगी।

सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी का अटका पेंच, 26 को अगली सुनवाई

खसरा नंबर न होने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

नवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का एक पत्र कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इसमें यह कहा गया था कि हाईकोर्ट ने किस जमीन के संबंध में आदेश जारी किया है, इसका उल्लेख नहीं है। युगलपीठ ने पाया कि पूर्व में भूमि अधिग्रहण के संबंध में याचिकाकर्ताओं को जारी पत्र में संबंधित जमीन के खसरा नंबर का स्पष्ट उल्लेख किया गया था। कोर्ट ने माना कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ओर से की गई कार्रवाई पूर्व में जारी अंतरिम आदेश का स्पष्ट उल्लघन प्रतीत होती है।

बिना सीबीआई जांच नहीं मिलेगी राहत

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने राज्य के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बेहद महत्वपूर्ण व सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने उन नर्सिंग संस्थानों और उनके छात्रों को किसी भी प्रकार की राहत देने से स्पष्ट इनकार कर दिया जो सीबीआई जांच से बच रहे हैं। जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ये संस्थान शिक्षा देने के बजाय वस्तुतः कामर्शियल दुकानों की तरह चलाए जा रहे हैं। बिना फैकल्टी और बिना इफ्रास्ट्रक्चर बिना प्रैक्टिकल के डिग्रियां बांटने को न्यायालय ने जनसामान्य व मरीजों के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ माना।

कॉलेज के छात्रों को राहत

मामले में महाधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर कोर्ट ने पाया कि अनसुटेबल कॉलेजों के कुल 4,475 जीएनएम विद्यार्थियों में से 2,395 विद्यार्थियों को सुटेबल यानी मान्यता प्राप्त कॉलेजों में स्थानांतरित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने राहत देते हुए निर्देश दिया कि इन स्थानांतरित 2,395 छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। उत्तीर्ण होने वाले छात्र आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। हालांकि, कोर्ट ने शर्त रखी है कि यदि इनकी पढ़ाई या प्रैक्टिकल में कोई कमी पाई जाती है, तो अतिरिक्त कक्षाओं और डबल शिफ्ट के जरिए उसे पूरा कराया जाए। शेष 2,080 छात्रों को भी जल्द स्थानांतरित करने को कहा गया है।

सीधे प्रवेश पर रोक और एंट्रेंस एग्जाम का सुझाव

हाईकोर्ट ने फर्जीवाड़े पर स्थायी अंकुश लगाने के लिए एएनएमए जीएनएम पाठ्यक्रमों में सीधे एडमिशन के बजाय प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिससे छात्र की पहचान शुरू में ही सत्यापित हो सके। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी, जिसमें मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

संदेह कितना भी मजबूत हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता

18 साल पुराने मामले में उम्रकैद की सजा पलटी, पत्नी की मौत के मामले में पति हुआ दोषमुक्त

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने हरदा जिले के टिमरनी में पत्नी सुनीता कनेरे की जलकर मौत के मामले में पति अशोक को बरी कर दिया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने अपराधिक अपील में उक्त फैसला सुनाया। सजायाफ्ता अशोक की ओर से अधिवक्ता ईशान दत्त और राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने पैरवी की। मामले के अनुसार सुनीता की शादी अशोक से 1999 में हुई थी और उनके दो बच्चे थे। 20 अगस्त 2008 को सुनीता आग से झुलस गई। अशोक उसे हरदा जिला अस्पताल और बाद में इंदौर के चोइथराम अस्पताल ले गया, जहां 21 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई। ट्रायल कोर्ट ने अशोक को धारा 302 और 498-ए के तहत दोषी ठहराकर उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई थी। जांच में कई खामियां मिलीं। हाईकोर्ट ने पाया कि प्रारंभ में जांच में कोई अपराध नहीं पाया गया था। बाद में घटना के काफी समय बाद गवाही के बयान दोबारा लिये गये और धारा 306 के तहत एफआईआर दर्ज हुई। घटनास्थल का नक्शा और चूल्हे की जब्ती भी घटना के लंबे समय बाद हुई। दस्तावेजों में तारीखों पर ओवरराइटिंग मिली।

डायरेक्टर ने मांगी माफी

मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई में प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप पाटीदार व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में उपस्थित हुए और बिना शर्त माफी मांगी। उनकी ओर से बताया गया कि पूर्व में किए गए भूमि अधिग्रहण का मुआवजा याचिकाकर्ताओं को प्रदान कर दिया गया है। युगलपीठ ने माफी स्वीकार करते हुए अवमानना की कार्यवाही का निराकरण कर दिया और भूमि से संबंधित कार्रवाई की वीडियोग्राफी कर उसे तीन वर्ष तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अतुल चौधरी ने पैरवी की।

अतिक्रमण हटाने से पहले कार्रवाई की रिकार्डिंग हो

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही जमीन पर अतिक्रमण बताकर निर्माण हटाने की कार्रवाई करने के मामले में एनएचएआई को महत्वपूर्ण निर्देश दिए है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए और रिकार्डिंग को तीन वर्ष तक सुरक्षित रखा जाए। वहीं पूर्व आदेश के उल्लघन को लेकर न्यायिक अवमानना की स्थिति बनने पर व्यक्तिगत रूप से तलब किए गए एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर संदीप पाटीदार ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी जिसे युगलपीठ ने स्वीकार कर लिया। जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ के समक्ष छत्तरपुर निवासी सुमन नायक एवं उज्जवल नायक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

विभाग के पीएस व अन्य को अवमानना नोटिस

पूर्व आदेश का पालन न होने पर कोर्ट सख्त

● जबलपुर / राज न्यूज नेटवर्क

मप्र हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त ड्रेसर से की गई रिकवरी की राशि वापस करने के आदेश का पालन नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका में संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने 12 अगस्त 2026 को कंटेम्प्ट याचिका पर भी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

दरअसल, मामला मंडला निवासी सेवानिवृत्त ड्रेसर दिनेश कुमार पटेल की याचिका से जुड़ा है। याचिका के अनुसार वे 31 अगस्त 2020 को ड्रेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके वेतन निर्धारण में वर्ष 1989 से गलती बताते हुए मूल वेतन और इसके आधार पर 1,84,500 रुपए की रिकवरी निकाली गई। इसके अलावा 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के रूप में 2,86,288 रुपये जोड़कर कुल 4,70,789 रुपए की राशि सेवानिवृत्ति लाभों से वसूलने के निर्देश दिए गए थे। पटेल ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 11 जुलाई 2025 को याचिका में पारित आदेश के अनुपालन के 2025 को संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन दिए। याचिका में कहा गया है कि न्यायालय ने पहले वसूल की गई राशि तीन माह में लौटाने का निर्देश दिया था और विलंब होने पर छह प्रतिशत ब्याज देने की बात कही थी, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया। याचिका में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है।

राशि सेवानिवृति लाभों से वसूलने के निर्देश

कार्यालय नगर पालिक निगम, जबलपुर म.प्र.

निविदा सूचना

N.I.T. No./PWD/e-tendering/Pro No. 476 Dated - 18/08/2026

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से/ ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेंडर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की सम्भावित पूर्ण लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_530232_1 Date - 18/08/2026	स.क्र.-02, के अंतर्गत वर्षाकालु की दृष्टिगत रजत दुर्ग सिविल मार्ग की मरम्मत एवं अन्य आवश्यक कार्य कालु।	06 माह रु. 8.45 लाख	2,000/- रु. 8457/-	07/09/2026

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन अभी
लोककार्य विभाग
नगर निगम, जबलपुर

775 रुपय स घटाकर 725 रुपय किया गया ... लिए उन्होंने 25 जुलाई और 16 सितंबर

पंजाब नैशनल बैंक
punjab national bank

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, मंडल कार्यालय, 1227, शालीन हाउस, नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.)
Email - cs8243@pnb.bank.in

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और जमानतदारों/बंधककर्ताओं को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक आधिपत्य/सांकेतिक आधिपत्य (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जो है'', ''जहाँ है'', ''जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्नलिखित उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों/बंधककर्ताओं से बैंक/प्रतिभूत लेनदार की निम्नलिखित रुपये की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य एवं अग्रिम धनराशी निम्नलिखित है:

ई-नीलामी दिनांक एवं समय -24.09.2026 दोपहर12:00 बजे से 05:00 बजे तक (आवश्यक होने पर सायंकल 05:00 बजे के बाद 10 मिनिट के अंतराल का विस्तार किया जाएगा)। ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक 24.09.2026 को दोपहर 03:00 बजे तक

निविदाकार अपने प्रस्ताव रु. 10000/- (रूपए दस हज़ार मात्र) के गुणांक में बढ़ा सकेंगे

उधारकर्ता/जमानतदार/बंधककर्ता के नाम	अचल संपत्ति/प्रत्याभूत आस्ति का विवरण	अ) मांग सूचना दिनांक ब) आधिपत्य दिनांक स) आधिपत्य प्रकार द) बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	अ) आरक्षित मूल्य ब) धरोहर राशि स) ईएमडी जमा अंतिम दिनांक द) बिड वृद्धि राशि
1. शाखा : व्हिकल फैक्ट्री, जबलपुर (म.प्र.) **1. श्री अक्षय मलिक पिता सतीश मलिक (उधारकर्ता), पता :** मकान नंबर 90, बडे कुएं के पास, बिलहरी, जबलपुर (म.प्र.) - 482020, **2. श्री सतीश कुमार मलिक उर्फ सतीश कुमार उर्फ सतीश मलिक पिता सुंदर लाल (जमानतदार और बंधककर्ता), पता:** ग्राम देवारी, समाधि रोड, पोस्ट कैल्वास, जबलपुर (म.प्र.) 482021, **खाता नं. 3243008700000243 और 324300SG00000084**	परिवर्तित अचल संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश और उस पर निर्माण खसरा नम्बर 97/13/3/1/2, मौजा बिलहारी, तहसील रांझी, जिला जबलपुर (म.प्र.) में स्थित, क्षेत्रफल 1037.5 वर्ग फीट यानी 96.42 वर्ग मीटर, जिसकी **चतुर्सीमा** दिनांक 01.08.2023 के पंजीकृत विलेख के अनुसार इस प्रकार है: **उत्तर दिशा में:** रजक की संपत्ति, **दक्षिण दिशा में:** दीपक कुमार मलिक की संपत्ति, **पूर्व दिशा में:** अजय महात्मा की संपत्ति, **पश्चिम दिशा में:** रोड, **संपित्त मालिक और बंधककर्ता:** सतीश कुमार मलिक उर्फ सतीश कुमार उर्फ सतीश मलिक पिता सुंदर लाल, **नीलामी संदर्भ संख्या : PUNB07082026001**	अ) 08.10.2025 ब) 07.05.2026 स) सांकेतिक आधिपत्य द) ₹37,93,619.06 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 52,23,951.00 ब) 5,22,395.10 स) 24.09.2026 द) 10,000.00
2. शाखा: शक्ति नगर, जबलपुर (म.प्र.) **1.(उधारकर्ता एवं बंधककर्ता) श्री नरेन्द्र अवस्थी पिता श्री मंगल प्रसाद अवस्थी, पता:** 509, बी टी रोड, गढ़ा, इंदिरा गांधी वार्ड, जबलपुर (मप्र), 482003, **2.(जमातनदार) श्री बुद्धूलाल पटेल, पता:** 1. मकान नं. 485, रानी दुर्गावती वार्ड, गढ़ा, जबलपुर (मप्र) **पता :** 2. 2071, देवताल रोड, चिक्नी कुआँ के पास, गढ़, जबलपुर (मप्र), **3.(जमानतदार) श्री कृष्ण कुमार कश्यप, पता:** 1025, हाऊ बाग रेलवे स्टेशन के पास, जबलपुर (मप्र), **4.(जमानतदार) श्री मनोज कुमार जैन, पता:** एच नं. 638, साउथ मिलानीगंज, जबलपुर (मप्र), **खाता नं. : 216500NC00012129,** **और 2165009900000080, DRT SA No. 958/2024**	रहवासी संपत्ति जो मौजा-चवनपुर पर स्थित, एन बी नबर 305, पी एच नंबर 28, खसरा नंबर 212/6, 213/6 म्यूटेशन के बाद 212/6/क, 213/6/क, प्लॉट एरिया 1710 वर्ग फीट (30x57), नगर निगम मकान नंबर 1104/डी, इंदिरा गांधी वार्ड, तहसील और जिला जबलपुर (म.प्र.), **चतुर्सीमा - उत्तर -** साइड रोड, **दक्षिण -** कुंदन का खुला प्लॉट, **पूर्व -** श्री जय प्रकाश गुप्ता, **पश्चिम -** साइड रोड, **मालिक और बंधककर्ता -** श्री नरेंद्र अवस्थी पिता श्री मंगल प्रसाद अवस्थी, **नीलामी संदर्भ संख्या : PUNB 2165090724**	अ) 13.12.2023 ब) 10.08.2026 स) भौतिक आधिपत्य द) ₹33,54,554.71 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 74,26,000.00 ब) 7,42,600.00 स) 24.09.2026 द) 10,000.00
3. शाखा: तुलाराम चौक, जबलपुर (म.प्र.) **1. श्री निजामुद्दीन पिता फारुक (उधारकर्ता एवं बंधककर्ता) पता :** 1044/4, आजाद नगर, पानी की तलैया, डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड, जबलपुर (म.प्र.), **2. श्री परवेज अख्तर पिता निजामुद्दीन (सह-उधारकर्ता), पता :** 1. 1044/4, आजाद नगर, पानी की तलैया, डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड, जबलपुर (म.प्र.), **पता :** 2. 1221, नई बस्ती गोहलपुर, अबूबकर मस्जिद, डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड, जबलपुर(म.प्र.) 482002, **3. श्री मोहम्मद वसीम पिता निजामुद्दीन (सह-उधारकर्ता), पता :** 1. 1044/4, आजाद नगर, पानी की तलैया, डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड, जबलपुर (म.प्र.), **पता :** 2. बेनी सिंह के तलैया, डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड, जबलपुर (म.प्र.)-482002 **खाता नं. : 0953305614701 और 0953305614066**	अचल संपत्ति के समस्त भू भाग व अंश और उस पर बना निर्माण प्लॉट नंबर 72, खसरा नंबर 227/3, 245, 246 और 247 का भाग, क्षेत्रफल 2067 वर्ग फीट या 192.10 वर्ग मीटर, मौजा गोहलपुर, पी.एच. नंबर 24/2, नया 29/1, गाजी नगर, पुराना चितरंजन दास वार्ड, नंया मोतीलाल नेहरूवार्ड, तहसील और जिला जबलपुर (म.प्र.), 03.01.2018 को रजिस्टर्ड सेल डीड के अनुसार **चतुर्सीमा : उत्तर में -** सरफराज खान का मकान, **दक्षिण में -** साइड रोड और प्लॉट नंबर 71, **पूर्व में -** प्लॉट नंबर 73, **पश्चिम में -** कंजर्वेसी **मालिक और बंधककर्ता -** निजामुद्दीन, पिता फारुक, **नीलामी संदर्भ संख्या : PUNB04082026001**	अ) 12.01.2026 ब) 25.03.2026 स) सांकेतिक आधिपत्य द) ₹23,54,506.01 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 67,78,000.00 ब) 6,77,800.00 स) 24.09.2026 द) 10,000.00
4. शाखा: सदर बाजार, जबलपुर (म.प्र.) **1. मेसर्स सन इंडस्ट्रीज** **(प्रोपराइटर श्रीमती रचना खरे पतिश्री हिमांशु खरे)** मकान नंबर 413 नेपियर टाउन, जबलपुर 482001 (म.प्र.) **2. श्रीमती रचना खरे पति श्री हिमांशु खरे** मकान नंबर 413 नेपियर टाउन, जबलपुर 482001 (म.प्र.) **खाता नं.: 0218008700005573, 0218001B00030049, 0218001EG00000025**	रिफैक्टरी मटीरियल बनाने वाली यूनिट का समस्त भाग, जिसमें फैक्टरी शेड और उसमें लगी मशीनरी शामिल है (भूमि और बिल्डिंग शामिल नहीं है), जो यहाँ स्थित है: ग्राम कुकरी खेड़, खालसा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, बरेला, जबलपुर-482010 (म.प्र.) **मालिक और बंधककर्ता :** मेसर्स सन इंडस्ट्री (प्रोपराइटर श्रीमती रचना खरे) **नीलामी संदर्भ संख्या : PUNB021800180826**	अ) 04.05.2026 ब) 07.07.2026 स) सांकेतिक आधिपत्य द) ₹94,77,753.37 + ब्याज़ एवं अन्य व्यय	अ) 20,57,000.00 ब) 2,05,700.00 स) 24.09.2026 द) 10,000.00

संपत्तियों पर भार जिनकी जानकारी प्रतिभूत लेनदार को है: जानकारी उपलब्ध नहीं है

सरफेसी अधिनियम 2002 व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत वैधानिक विक्रय सूचना

नियम एवं शर्तें : (1) विक्रय प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002के नियम व शर्तों के अधीन होगा तथा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा। **(2)** संपत्तियों की बिक्री **"जो है", "जहाँ है", "जो कुछ भी है"** के आधार पर होगी। **(3)** ऊपर वर्णित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त जानकारी के आधार पर है।किन्तु प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि, गलत जानकारी, घोषणा में चूक के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। **(4)** विक्रय अधिकृत ऑन लाइन ई-नीलामी सेवा प्रदाता के द्वारा वेबसाइट **https://baanknet.com** पर दिये गये दिनांक व समय पर किया जाएगा। **(5)** संपत्ति विक्रय से संबंधित नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट **www.pnbindia.in, https://baanknet.com** पर विजिट करें।

स्थान: जबलपुर, दिनांक 18.08.2026

पंजाब नेशनल बैंक प्राधिकृत अधिकारी